IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

शे खावाटी में किसान आन्दोलन

रोहिताश कुमार

सहायक आचार्य, इतिहास

से.ने.म.टी.राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, झुंझुनूं (राजस्थान)

झुंझुनूं, सीकर व चुरू के कुछ भाग को शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। सन् 1445 ई. में शेखा ने इस इलाके में अपना राज्य स्थापित किया। धीरे–2 इसके वंशजों ने यहाँ अपने राज्य का विस्तार किया, शेखा के वंशज शेखावत व यह क्षेत्र शेखावाटी कहलाया। शेखावाटी में झुंझुनूं, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुन्दगढ़, मण्डावा, बिसाऊ, लक्ष्मणगढ़, खेतड़ी, सीकर आदि नगर थे। यहाँ की भूमि रेतीली व चिकनी दोनों प्रकार की है। इस जमीन में मुख्यत: मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार आदि की बरसाती फसल ली जाती थी। सिंचाई के साधनों का अभाव होने के कारण एक ही फसल मुख्यत: ली जाती थी। बरसात के अभाव में अक्सर अकाल की स्थिति भी रहती है। यहाँ खेजड़ी, किकर, रोहिड़ा, कैर, आदि वनस्पति पाई जाती है।

यहाँ शेखावतों के विभिन्न ठिकाने थे जिन्हें पाने भी कहा जाता था। खेतड़ी सबसे बड़ा ठिकाना था जहाँ का शासक राजा कहलाता था। सीकर के शासक को रावराजा व अन्य जागीदार, ठिकानेदार ठाकुर के नाम से जाने जाते थें झुंझुनूं में पहले निजाम था जिससे शार्दुलसिंह शेखावत ने यह जागीर ली। बाद में यह जागीर पंचपानों में विभाजित हो गई।

प्रारम्भ में पुरे राजस्थान में ही रियासतों पर राजपुत शासकों व उनके जागीरदारों का शासन था। इस शासन में राजा व प्रजा में आपसी तालमेंल था जो भी शासक या जागीदार होता वह प्रजा के सुख–दु:ख का भागीदार होता था। बदले में प्रजा भी शासक के प्रति वफादार होती थी। लेकिन 1818 ई. की सन्धियों के पश्चात् राजस्थान की रियासते अंग्रेजो के अधीन हो गई। जिसके फलस्वरूप शासक अब अंग्रेजो के प्रति उत्तरदायी हो गयें व अब प्रजा पर अब लगान का बोझ बढ़ गया, क्योंकि अब प्रजा पर शासकों के साथ–साथ अंग्रेजों के व्यय का भार भी लाद दिया गया।

शासक का आय का साधन मुख्यत: किसान से प्राप्त लगान था। लगान के अलावा अन्य कर व बेगार भी ली जाती थी। इस तरह किसान पुरी तरह शोषण का शिकार था। उनमें जागृति आन्तरिक व बाहरी दोनों तत्वों द्वारा आयी। स्वामी दयानन्द सरस्वती के आर्य समाज ने राजस्थान में जन जागरण में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया। इसके साथ ही समाचार पत्रों ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। शेखावाटी के किसान आन्दोलन देश व राजस्थान के अन्य हिस्सों मे ंचल रहे आन्दोलन से भी प्रभावित रहे।

प्रथम विश्व युद्ध में शेखावाटी के युवाओं ने भाग लिया। वापस लौटने पर ये सैनिक एक नई विचारधारा लेकर लौटे, शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ा बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलवाना शुरू किया। आर्य समाज के प्रभाव से समाज की कुरितियों का विरोध, नशा मुक्ति अभियान, स्त्रियों को शिक्षा, बाल विवाह व दहेज प्रथा का विरोध किया गया। इससे समाज में जागृति आयी व शोषण के खिलाफ जनमत तैयार हुआ। गाँधीजी के असहयोग आन्दोलन से भी किसान आन्दोलन प्रभावित रहा।

राजस्थान में अधिकतर भूमि जागीरदारों के पास थी ये राजस्व के अलावा 80 प्रकार के कर वसुलते थे जिससे किसान परेशान थे। इन करों को लाग–बाग कहा जाता था। लाग–बाग में पान चराई, न्यौता, कारज बाई जी का हथलेवा, कुंवर कलेवा, जाजम खर्च, चड़स की लाग,पटवारी की लाग, कोटड़ी खर्च कई तरह की लाग थी। इसके अतिरिक्त किसान ठाकुर के सामने खाट पर नहीं बैठ सकता था। उसकी स्त्री गहने भी नहीं पहन सकती थी शादी में घोड़े व हाथी पर नहीं बैठ सकते थे उन्हें छोटे नामों से पुकारा जाता था। इस तरह से शेखावाटी के किसानों की दशा दयनीय थी। शेखावाटी में किसान आन्दोलन गाँधी जी की प्रेरणा से शुरू हुआ। सन् 1921 में गाँधी जी भिवानी आये। सेठ देवीबक्स सरार्फ की प्रेरणा से शेखावाटी के अग्रणी किसानों का एक दल भिवानी गया। इस दल में गोविन्दराम, चिमनाराम, पं. ताड़कशेवर शर्मा, नेतराम सिंह, हरलाल सिंह, पन्नेसिंह आदि गये। इन्हीं नेताओं के नेतृत्व में बाद में किसान आन्दोलन चला। शेखावाटी में सबसे पहले चिड़ावा में अमर सेवा समिति का गठन मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने किया व इसके माध्यम से जन जागृति में लग गये। खेतड़ी के जागीरदार के चिड़ावा आने पर बेगार देने से मना किया, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें घोड़ो से बांध कर घसीटा गया व जेल में बन्द कर दिया गया । 23 दिन बाद इनको रिहा किया गया। शेखावाटी में यहाँ के महाजनों द्वारा पाठशालाओं को खोला गया, जिससे शिक्षा का प्रसार हुआ। किसानों की व्यथा को पं. ताडेकेश्वर शर्मा ने लोकगीत के माध्यम से निम्न प्रकार बताया है।

पिया सत्याग्रह में चालों जी, पंचायत बिगुल बजायों।
पिया देशक की लाज बचाल्यो जी, अन्यायी जुल्म बढ़ायों।

गीतकार चौधरी घासीराम ने इस प्रकार व्यथा व्यक्त की है।

भूखा रोवे टाबरिया पण माल मांगे राजा जी,
झुंझुनूं जैपूर में लाठ्यां टूटी म्हारा राजा जी,
वे बहोत मार्‌या राजा जी, हां खाल उधेड़ी राजा जी।।

सन् 1922 को सीकर ठिकाने के राव राजा माधोसिंह की मृत्यु के बाद उनका भतीजा कल्याणसिंह राव राजा बना। कल्याणसिंह ने माधोसिंह के मृत्यु संस्कार व अपनी गद्दी नशिनी में अत्यधिक व्यय किया। जिसके फलस्वरूप किसानों पर कर बढ़ा दिये गये। किसानों ने भू–राजस्व न देने का निर्णय किया। इसी दौरान राजस्थान सेवा संघ के नेता रामनारायण चौधरी ने "तरूण राजस्थान" में किसानों का पक्ष रखा जिससे किसान आन्दोलन के लिए वातावरण तैयार हुआ। उन्होंने इंग्लैड में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र "डेली हेराल्ड" में सीकर के किसानों की समस्याओं से सम्बन्धित लेख लिखे।[1] जिसके फलस्वरूप सन् 1925 में हॉउस आफ कॉमन्स के सदस्य पेट्रिकलारेन्स ने सीकर के किसानों के मामले को संसद में उठाया।[2] इंग्लैड की संसद में प्रश्न उठने पर 1925 में

राव द्वारा एक जाँच आयोग बैठाया गया।[3] जाँच आयोग का कोई सकारात्मक नतीजा तो नहीं निकला लेकिन किसानों में चेतना का संचार हुआ। इस आन्दोलन का नेतृत्व ठाकुर देशराज ने किया।

किसानों की शिकायत थी कि "सीकर ठिकाने में कृषि भूमि के मापने के लिए कोई अधिकृत जरीब नहीं है, उपयुक्त भूमि दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, भू राजस्व की कोई निर्धारित दर नहीं है एवं भू–राजस्व की मांग में निरन्तर वृद्धि होती रही है अन्य अनेकों लाग–बाग देने पर मजबूर किया जाता है एवं भूगतान न करने पर "काठ" में डाल दिया जाता है तथा उन्हें उनकी जोतों से बेदखल कर दिया जाता है[4]।

इन सब को देखते हुए जयपुर दरबार ने भी एक अंग्रेज अधिकारी को सीकर भेजा जिससे किसानों की शिकायतों को सही पाया तथा राव राजा व किसान के मध्य समझौता हुआ जिससे बढ़ा हुआ भू राजस्व वापस करने का निर्णय हुआ।

1925 के जाँच आयोग के अनुसार सीकर में भूमि पैमाशस का कार्य शुरू हुआ। सीकर के किसानों की सफलता से प्रभावित होकर दिसम्बर 1925 में शेखावाटी के मण्डावा, डुण्डलोद, बिसाऊ, नवलगढ़ के किसानों ने अधिक राजस्व, बेगार लाग–बाग, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ठिकानों के समक्ष अपनी मांगे रखना शुरू किया।[5] ठिकानेदारों ने जिनमें मण्डावा के ठाकुर इन्द्रसिंह एवं डुण्डलोद के ठाकुर हरनाथ सिंह ने जयपुर राज्य कौन्सिल[6] को पत्र लिखकर किसान असन्तोष को दबाने के लिए सहयोग मांगा। लेकिन कौन्सिल ने किसान पक्ष को सही पाया।[7] "इसी दौरान अक्टुबर 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन, पुष्कर, अजमेर में आयोजित हुआ था।[8]"

इस सम्मेलन में शेखावाटी के जाट किसानों ने भी भाग लिया। शेखावाटी लोटकर जाट सभा का गठन किया। शेखावाटी जाट सभा के अध्यक्ष रामसिंह व उपाध्यक्ष भुदाराम को नाजिम ने तलब किया, इन्होंने बताया कि वे समाज सुधार के कार्य में लगे है। उनका इरादा किन्हीं को भड़कान एवं उकसाना नहीं है[9]। शेखावाटी के किसानों की मांगो पर जयपुर राज्य कौन्सिल ने जाँच करवायी जो किसानों के पक्ष में रही। कौन्सिल ने ठाकुरों को सलाह दी कि वे भुगतानों की रसीद दे एवं अपने व्यवहार में शालीनता रखें साथ ही किसानों की शिकायतों पर विचार कर उन्हें दूर करें तथा किसानों से मिल बैठ कर कार्य करे। इस सलाह पर खेतड़ी, मण्डावा, डुण्डलोद, बिसाऊ ठिकानों ने जून 1926 में भू–राजस्व में वृद्धि न करने की घोषणा की। 1928 तक सीकर के किसान शान्त रहे। उसके बाद पूनः उन्होंने जयपुर कौन्सिल में शिकायत देना शुरू किया। किसान सामन्त सघर्ष समस्त शेखावाटी में फैल गया।

सन् 1930 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन गाँधीजी के नेतृत्व में पुरे देश में चला इससे शेखावाटी भी अधूता नहीं रहा, यहाँ के किसानों पर कांग्रेस के अहिसावादी व समाजवादी नीति का प्रभाव पड़ा। जयपुर राज्य की ओर से 13 अप्रैल 1931 को सीकर में एक भूमि बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की गई। 16 अप्रैल 1931 को सीकर का राव राजा जयपुर महाराजा से मिला। महाराजा ने राव राजा को सलाह दी कि किसानों को रूपये में दो आना छूट दे साथ ही राजस्व कार्य सिनियर ऑफिसर को सौप देना चाहिए। इससे किशोरसिंह राजस्व कार्य से हट गये जो कि किसानों की विजय थी।

11–13 फरवरी 1932, बसंत पंचमी के अवसर पर झुंझुनूं में अखिल भारतीय जाट महासभा का तेईस वाँ अधिवेशन का आयोजन हुआ।[10] इस सभा ने आर्थिक व सामाजिक दोनों ही विषयों पर प्रस्ताव पास किये गये। सामाजिक बुराईयों से दूर रहने, शिक्षा के लिए बच्चों को पाठशाला भेजने का निर्णय लिया। साथ ही महाराजा से

राजस्व कम करने का आग्रह किया गया। इस सम्मेलन के बाद हथियार रखने का प्रचलन हुआ। सीकर के किसानों ने पलसाना में सितम्बर 1933 में जाट सभा का आयोजन किया था। इस सभा में सीकर में जाट महायज्ञ करने का फैसला किया गया। सीकर में 20–26 जनवरी, 1934 को जाट महायज्ञ का आयोजन किया गया।[11] जाटों ने जूलुस के लिए हाथी मांगा। ठिकाने द्वारा मना करने पर इनके संबंध ठिकाने से कटू हो गये। 26 जनवरी 1934 के आदेश द्वारा महायज्ञ समिति के सचिव मास्टर चन्द्रभान सिंह को सीकर छोड़ने का आदेश दिया। आदेशों की अवहेलना पर मास्टर चन्द्रभान सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद किसानों का संघर्ष तीव्र हो गया। फरवरी 1934 में सैकड़ों की संख्या में किसान जयपुर पहुचे। 18 फरवरी को अपनी शिकायत व मांग पत्र जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया। जो निम्नानुसार था:–

1. भू राजस्व को स्थाई किया जावें।
2. अकाल व मूल्य गिरावट होने पर भू–राजस्व में छूट प्रदान की जावें।
3. लाग–बाग अवैध घोषित की जावें।
4. न्यायिक अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये जावें।
5. आय का आठवाँ भाग किसानों की शिक्षा पर व्यय किया जावें।
6. मास्टर चन्द्रभान सिंह को बिना शर्त रिहा करना आदि।

किसानों के दबाव में आकर सीकर ठीकाने ने निम्न सुधार किये। लाग–बाग समाप्त, बेगार समाप्त कर दी गई। शिक्षा के लिए ठिकाने द्वारा संचालित विद्यालय खोले गये। लगान की दर जाट पंचायत के साथ बातचीत से तय करना तय हुआ।

सीकर के आन्दोलन से प्रभावित होकर अन्य ठिकानों में भी 1934 में करबन्दी अभियान चलाया गया। इसे हतोत्साहित करने के लिए जागीरदारी ने आक्रमण करने का तरीका अपनाया। अप्रेल 1934 में किसान सभा के नेता हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी के नेतृत्व में हजारों किसान महिलाओं ने कटराथल में किसान आन्दोलन में भाग लिया। ठाकुर देशराज की पत्नी उत्तमा देवी ने इस किसान सभा में ओजस्वी भाषण दिया। जिससे महिलाओं में साहस व आत्मनिर्भरता का संचार हुआ। यह सम्मेलन सीहोठ के ठिकानेदार द्वारा महिलाओं के प्रति किये गये अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध किया गया था।

झुंझुनूं के हनुमानपुरा गाँव जागीरदारों के आक्रमण का पहला शिकार बना, 16 मई 1934 को सांयकाल में जब हनुमानपुरा गाँव के अधिकांश लोग बारात में गये थे तो हीरवा ठाकुर ने गाँव में आग लगा दी जिससे हजारों रूपयों की सम्पत्ति नष्ट हो गई। इसी तरह 21 जून 1934 को डुण्डलोद के ठाकुर हरनाथसिंह के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा के किसानो पर आक्रमण कर दिया, जब वे अपने खेतों में थे। इस घटना में चार किसान मारे गये एवं 23 बुरी तरह से घायल हुए।[12] गोलीकाण्ड के विरोद्ध में जयसिंहपुरा शहीद सप्ताह मनाया गया। सरदार हरलालसिंह ने इस घटना की जयपुर सरकार को रिपोर्ट भेजी जिसके फलस्वरूप पुलिस महानिरिक्षक एफ.एस यंग को इस घटना की जाँच हेतु भेजा गया। ईश्वर सिंह व उसके साथियों पर मुकदमा चला और उन्हे 1 वर्ष 6 माह का कारावास हुआ। यह जयपुर रियासत का प्रथम मुकदमा था। जिसमें किसान हत्यारों को सजा हुई। जयपुर सरकार को लगातार किसान प्रतिनिधि मण्डल द्वारा मांग पत्र सौपे जा रहे थे। इसी दौरान पंचपाना ठाकुरों का प्रतिनिधि मण्डल भी जयपुर सरकार से मिला। जयपुर सरकार ने सीकर ठिकाने में अत्याचारों को रोकने के लिए

डब्यू.टी. बेव को नियुक्त किया, जिसके प्रयासों से ठिकाने व किसानों के मध्य 23 अगस्त 1934 को मध्य समझौता हुआ। जिसमें बहुत से कर व बेगार समाप्त कर दिये गये। इस समझौते द्वारा जाट पंचायत को भी मान्यता दी गई। लेकिन ठिकानों द्वारा समझौतों का पालन नहीं हुआ।

शेखावाटी में माहौल अशान्त होता जा रहा था जयपुर सरकार इसे शान्तिपूर्ण तरिके से सुलझाने के पक्ष में थी। जिसके फलस्वरूप जयपुर राज्य कौन्सिल के उपाध्यक्ष ने 14 मार्च 1935 को जाट नेताओं चिम्मनराम, देवाराम, नेतराम, पोंकरराम, हरलाल सिंह एवं ठाकुरों को बुलाया गया।[13] यहाँ दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हो गये कि शेखावाटी में एक नियमित भू–सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त करवाया जाए एवं इस कार्य के लिए ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किये जाये। इस बन्दोबस्त के होने तक राजस्व निर्धारण की व्यवस्था एक समिति द्वारा की जाए। किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए भविष्य में आन्दोलन न करने की चेतावनी दी गई।[14] इसके बाद भी जागीरदारों व किसानों में खुडी कुदन, पलसाना में सघर्ष हुआ। जिसके फलस्वरूप 26 मई 1935 सीकर दिवस मनाया गया। भारत सरकार के हस्तक्षेप से 1935 में लगान माफ किया गया व कुछ हद तक आन्दोलन शान्त हुआ।

प्रजामण्डल व किसान आन्दोलनः–

1931 में जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना हुई। सन् 1938 तक कांग्रेस का रूख देशी राज्यों के आन्दोलनों के प्रति रूखा रहा। लेकिन 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आन्दोलनों को कांग्रेस ने अंग के रूप में स्वीकार कर लिया। जवाहर लाल नेहरू को अखिल भारतीय प्रजा परिषद का अध्यक्ष एवं जयनारायण व्यास को महामंत्री नियुक्त किया।

जयपुर प्रजामण्डल ने 8–9 मार्च 1938 को एक प्रस्ताव पास किया जो इस प्रकार था– "जयपुर रियासत के अधिकांश ठिकानों में बसने वाली जनता के प्रति ठिकानेदारों का जा व्यवहार है वह अधिकांश में गैर कानूनी, कष्टदायक, विकास अवरोधक तथा अशान्ति उत्पादक है। इससे न केवल जनता को अपितु ठिकानों व ठिकानेदारों को भी अत्यन्त हानि है। जयपुर राज्य प्रजामण्डल की यह निश्चित राय है कि ठिकानों की जनता को वही कानूनी, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत अधिकार व सुविधाऐं प्राप्त होनी चाहिए जो राज्य की जनता के लिए आंकाक्षित है।"[15]

अब शेखावाटी के किसानों की मांग प्रजामण्डल की मांग हो गई। ठिकानेदारों ने भी धीरे–धीरे समझौते का रूख किया। इसके साथ ही जयपुर राज्य भी शान्ति का पक्षधर था। फिर भी सरकार शेखावाटी के किसानों को प्रजामण्डल से दूर रखना चाहती थी।

जयपुर सरकार ने 1 फरवरी 1939 को जमना लाल बजाज के जयपुर पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया।[16] इसके विरोद्ध में शेखावाटी क्षेत्र में किसानों ने विरोद्ध प्रदर्शन किये। 15 मार्च 1939 को सरदार हरलाल सिंह ने झुंझुनूं में गिरफ्तारी दी। झुंझुनूं को सैनिक छावनी में बदल दिया गया। इस आन्दोलन में महिलाओं ने भी भाग लिया। पुलिस ने लाठिया बरसाई, घोड़े दौड़ाये, पुरे देश में इसकी निन्दा हुई।

जयपुर राज्य प्रजामण्डल के द्वितीय अधिवेशन में भी ठिकानों की प्रजा व किसानों के लिए सुविधाओं की मांग की गई। 5–6 अप्रेल 1941 को तीसरा अधिवेशन झुंझुनूं में आयोजित हुआ व इसमें एक ही प्रस्ताव पास हुआ की धैर्य की सीमा टुट गई है। 24 अप्रेल 1941 को प्रजामण्डल अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री ने जयपुर महाराजा को

खुला पत्र लिखा जो 26 अप्रेल 1941 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ।[17] धीरे–2 पुरे शेखावाटी में किसान आन्दोलन पुनः शुरू हो गया। जयपुर प्रजामण्डल के नेता हीरालाल शास्त्री, लादूराम जोशी, हरलालसिंह, नरोत्तमलाल एवं लादूराम जाट ने झुंझुनूं शेखावाटी क्षेत्र में किसान आन्दोलन का संचालन किया।

हरलाल सिंह ने प्रजामण्डल के माध्यम से किसानों के जागीरदार विरोधी अभियान को चलाया। अब किसान नेता जागीरदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़कर पूर्ण परिवर्तन के पक्षधर हो गये थे। 23 दिसम्बर 1946 को जयपुर में प्रजामण्डल एवं शेखावाटी के किसान नेताओं की एक सभा हुई। इस सभा में जागीरदारी व्यवस्था की समाप्ति की मांग की गई। सभा के अन्त में "जागीरदारी प्रथा का नाश हो", जागीरदारों के जुल्मों का नाश हो एक शीघ्र भूमि बन्दोबस्त हों के नारे लगाये गये।[18]

जयपुर प्रजामण्डल के सदस्य श्री हीरालाल शास्त्री, श्री टीकाराम पालीवाल, सरदार हरलाल सिंह और एडवोकेट श्री विद्याधर सिंह ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। यह प्रतिवेदन एक सम्पूर्ण दस्तावेज था जिसमें किसानों की सभी समस्याओं यथा भूमि बंदोबस्त, लगान की न्यायोचित दर, भूमि पर किसान का स्वामीत्व, बेदखली से सुरक्षा, लाग–बाग पर समाधान प्रस्तुत किया गया।

जयपुर महाराज ने 30 दिसम्बर 1946 को प्रजामण्डल से समझौता कर लिया। 1 जनवरी 1947 को हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में उत्तरदायी सरकार का गठन किया गया। 25 जनवरी 1947 को जयपुर जागीर लैंड टिनेसी एक्ट पारित किया गया। 1952 में जागीरदारी व जमींदारी उन्मूलन अधिनियम पास किया गया। इसके साथ ही शेखावाटी के साथ–2 राजस्थान के स्वतंत्रता पूर्व किसान आन्दोलनों का अन्त हुआ।

सदर्भः–

1. राष्ट्रीय अभिलेखागार , फॉरेन एण्ड पॉलिटिकल डिपार्टमेन्ट, फाईल नं. 99 (7)– पी पृ. 7 एवं डॉ० ब्रजकिशोर शर्माए राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलनए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमीए जयपुर पृ० 149
2. वही
3. वही पृ. 9–10
4. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जयपुर रिकार्ड्स, फाईल नं. जे –2 – 7483 भाग–7 बस्ता नं. 99 पृ. 13 डॉ पेमाराम राजस्थान में कृषक आंदोलन पृ० 172 डॉ० ब्रजकिशोर शर्माए राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलनए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमीए जयपुर पृ० 149
5. वही
6. 7 सितम्बर 1922 को जयपुर महाराजा माधोसिंह की मृत्यु के उपरान्त, जयपुर का शासन कौन्सिल के हाथ में था, जिसका अध्यक्ष अंग्रेज अधिकारी(जयपुर का पॉलिटिकल एजेन्ट) था।
7. बृजकिशोर शर्मा, सामन्तवाद एवं किसान संघर्ष, जयपुर 1992 पृ. 68

8. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जयपुर रिकार्ड्स, फाईल नं. जे–2 2549, भाग प्रथम वस्ता नं. 70 पृ. 12 डॉ पेमाराम राजस्थान में कृषक आंदोलन पृ॰ 195

9. राजस्थान राज्य अभिलेखागार फाईल ज–2– 2549, भाग – 1, पृ. 6 ॰ ब्रजकिशोर शर्मा॰ राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलन॰ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी॰ जयपुर पृ॰ 150

10. देशराज, शेखावाटी के जनजागरण एवं किसान आन्दोलन के चार दशक, जयपुर, 1961 पृ. 13

11. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जयपुर रिकार्डस, फाईल नं. जे–2– 7483, भाग – 9, बस्ता नं. 99 पृ. 2

12. देशराज पृ. 26–28

13. राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर फाईल जे. –2 – 7483 भाग–9 बस्ता नं. पृ. 19 डॉ पेमाराम राजस्थान में कृषक आंदोलन पृ॰ 206

14. वही पृ. 19–20

15. जयपुर राज्य प्रजामण्डल, प्रथम वार्षिक अधिवेशन, जयपुर 1938 प्रस्ताव सं. 9 प्रस्तावों की प्रकाशित पुस्तिका, पृ. 10–11

16. राजस्थान राज्य अभिलेखागार फाईल जे.–2–7483 भाग–6 बस्ता नं. 48 डॉ पेमाराम राजस्थान में कृषक आंदोलन पृ॰ 209॰ ब्रजकिशोर शर्मा॰ राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलन॰ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी॰ जयपुर पृ॰ 170

17. राष्ट्रीय अभिलेखागार फाईल नं. 360, 1941 पृ. 15 ब्रजकिशोर शर्मा॰ राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलन॰ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी॰ जयपुर पृ॰ 173

18. राजस्थान राज्य अभिलेखागार, जयपुर प्रजामण्डल रिकार्ड, फाईल नं. 15/1947 डॉ पेमाराम राजस्थान में कृषक आंदोलन॰ ब्रजकिशोर शर्मा॰ राजस्थान में किसान एवं आदिवासी आंदोलन॰ राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी॰ जयपुर पृ॰ 178